



GOVT. ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)

Badliya Chouraha, N. H. - 8, Near Nareli Temple, Ajmer

www.ecajmer.ac.in e-mail: teqip.ecajmer@gmail.com ■ 9214210952

TEQIP-III

Prof. Ranjan Maheshwari
Institute Project Director
7340132528

Dr. Uma Shankar Modani
Coordinator TEQIP-III
7230094950

Dr. Adarsh Mangal
N. O. (Academic)

Mr. Ravinder Singh
N. O. (Procurement)

Dr. Manish Badlani
N.O. (Finance)

GECA/TEQIP-III/2018/ 520

Date: 24.03.2018

बैठक के सूक्ष्म (Minutes of Meeting)

प्राचार्य कार्यालय मे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.03.2018 को आहूत हुई बैठक में निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे:-

1. डॉ. मनीष बदलानी, नोडल अधिकारी वित्त, TEQIP-III
2. श्री हिमांशु कुमार माथुर, सहायक नोडल अधिकारी वित्त, TEQIP-III
3. श्री महेन्द्र कुमार, DEO cum LDC, TEQIP-III

बैठक मे निम्न निम्नलिखित बिन्दुओ पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया:-

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों (UG/PG) को यात्रा भत्ता (Under TEQIP-III) की Guidelines for TA/DA की Table-1 & 2 के Grade Pay/AGP below Rs. 4200/- Pay level (7th pay below 5) आधार पर दिया जायेगा।
2. NPIU के द्वारा नियुक्त संकाय सदस्यों को यात्रा भत्ता (Under TEQIP-III) की Guidelines for TA/DA की Table-1 & 2 के Grade Pay/AGP Rs. 5400/- to below Rs. 7600/- /- Pay level (7th pay 9-11) के आधार पर दिया जायेगा।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी (UG/PG) किसी भी STC/Workshop/Conference/Seminar मे भाग लेना चाहता है, तो उसे STC/Workshop/Conference/Seminar की दिनांक से पन्द्रह दिन पूर्व Application Proper Channel (विभागाध्यक्ष के माध्यम) प्रेषित करनी आवश्यक है। कार्यक्रम की सूचना विभागाध्यक्ष द्वारा Notice के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को देते हुए आवेदन प्राप्त किये जाएंगे। इसके बाद विभाग के संकाय सदस्यों की समिति द्वारा quality projects / papers के लिए छटनी की जाएगी। तत्पश्चात् विभागाध्यक्ष की स्पष्ट अनुशंसा के साथ आवेदन TEQIP Office में कार्यक्रम के पन्द्रह दिन पूर्व तक भेजना होगा।
4. रेल यात्रा के अन्तर्गत (विशेष परिस्थितियों में) तत्काल आरक्षण की राशि भी देय होगी।
5. लघुतम यात्रा मार्ग की यात्रा का ही भुगतान किया जायेगा।
6. लघु अवधि यात्रा के संदर्भ मे बिल न होने पर राजस्थान सेवा यात्रा नियम तथा बिल संलग्न होने पर TEQIP-III को आधार मानते हुए आवेदन करने पर भुगतान देय होगा।
7. महाविद्यालय मे आयोजित STC/Workshop/Conference/Seminar मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों (UG/PG) को प्रतिदिन राशि रूपये 100/- प्रति विद्यार्थी की दर से व्यय किया जा सकता है।
8. पार्ट टाइम विद्यार्थियों को TEQIP-III के अन्तर्गत कोई भुगतान देय नहीं होगा।

प्राचार्य एवं संस्थान परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. समन्यवक, TEQIP-III
3. उप कुलसचिव (लेखा शाखा)
4. संस्थापन शाखा
5. लेखा शाखा
6. रक्षित पत्रावली